कार्यालय–उपनिदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।

पुरोला, दूरभाष एवं फैक्स नं0.01373-223433,Email- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1266 / 2-3 पुरोलाः दिनांक 4/3/ 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
पुरोला, उत्तरकाशी।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी0 स्पान का स्टील गार्डर पुल के निर्माण हेतु 0.224 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड़ लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No. FP/UK/OTHER/9741/2015).**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय, देहरादून के कार्यालय की पत्र सं0–8बी.यू.सी./09/65/2016/एफ0 सी0/2323, दिनांक–19.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति इस आशय से आपको ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रेषित की जा रही है कि पत्र दिये गये आपत्तियों **(बिन्दु सं0 1, 2, 3, 4, 9 एवं 10)** का निराकरण कर इस कार्यालय को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन वापस करने की कृपा करें ताकि प्रकरण पर कार्यावाही की जा सके।

संलग्न–पत्र की छायाप्रति

भवदीय,

(कोमल सिंह)
उप निदेशक,
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0
पुरोला, उत्तरकाशी।

o/c

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/65/2016/एफ0 सी0/2323 दिनांकः 19/02/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद– उत्तरकाशी के अन्तर्गत रूपिन नदी पर धौला नामक स्थान पर 42 मी0 स्पान का स्टील गार्डर पुल के निर्माण हेतु 0.224 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/OTHER/9741/2015).

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1964/FP/UK/OTHER/9741/2015 दिनांक 23/01/2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01/03/2018 के जवाब में प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है :–

1. विषयांकित प्रकरण लगभग पाँच वर्ष पुराना है तथा इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 01/03/2018 की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष बीत जाने के पश्चात सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा वह भी अपूर्ण है। नोडल कार्यालय से अनुरोध है कि वह प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर पूर्ण उत्तर एक साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. In reply to point No. 06, shape of the KML file of proposed area is not matching with the shape shown in the digital map. State Government may upload the KML file and digital map matching shape of proposed area at C (ii) and C (iv) Part I online.
3. In reply to point No. 12, no corrections have been found. State Govt. may provide the correct reply to point No. 12 of this office EDS dt. 01.03.2018
4. In reply to point No. 13, State Government is requested to upload the minutes of the meeting of the NBWL at para I in Part I.
5. Density mentioned in NPV calculation sheet is 0.15 which is open forest and rate charged for dense forest. Further, DFO may calculate NPV as per the guideline regarding rate of NPV for area falls in National Park/ Wildlife Sanctuary. State Government may clarify this disparity.
6. It is seen that no comments have been made by DFO against para 2, 3, 4 & 5.
7. Two different SIRs of DFO have been found uploaded at para 15 &16. State Government may remove the old report.

Scanned with CamScanner

8. DFO mentioned that the approval is of 57th meeting of NBWL, which seems to be of 36th meeting. State Government may correct the same in the SIR.

9. In reply to point No. 12, it is mentioned that the status of the land have been provided online by the user agency, which is required to be done by the concerned DFO. State Govt. may submit clarification in this regard.

10. In component wise breakup only bridges has been mentioned indicating land as 0.224 ha. the approach and road on both sides of bridge is either not included or not clearly mentioned in the proposal. Therefore, a clarification on this is required to be submitted by the State Government.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

Scanned with CamScanner